उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-2

संख्या-4/2232/26-2-2012-100(69)/2002 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

1. प्रमुख सचिव,
   महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   विकलांग कल्याण विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में 04 योजनाएं संचालित किये जाने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जबकि इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना क्रमश: महिला कल्याण एवं विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से रू 372.55153 करोड़ व्यय हेतु अवशेष है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-44(2)/पी0एफ0आई0/2013-253 दिनांक 11.06.2013 द्वारा रू0 394.88 करोड़, पत्रांक-44(2)/पी0एफ0आई0/2013-472 दिनांक 25.07.2013 द्वारा रू0 131.63 करोड़, पत्रांक-44(8)/पी0एफ0आई0/2013-530, दिनांक 07.08.2013 द्वारा रू0 131.63 करोड़ अर्थात कुल 658.14 करोड़ अवमुक्त की गयी हैं।

3. इस प्रकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0 658.14 करोड़

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अवशेष धनराशि रू0 372.55153 करोड़ अर्थात कुल 1030.69153 करोड़ के सापेक्ष निम्न् प्रकार से आवंटन किया जा रहा है:-

| **क्र0सं0** | **योजना का नाम** | **आवंटित की जा रही धनराशि** |
|---|---|---|
| 1. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | रू0 589.42687 करोड. |
| 2. | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | रू0 300.00 करोड़ |
| 3. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | रू0 117.16266 करोड. |
| 4. | इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना | रू0 24.1020 करोड. |
| 5. | **योग-** | रू0 1030.69153 करोड. |

4. अत: अनुरोध है कि उक्तानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित योजना के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग विभाग के अनुदान संख्या के अन्तर्गत निर्धारित योजना में करने का कष्ट करें, तथा वर्ष 2013-14 में व्यय की गई धनराशि का व्यय-विवरण तथा उसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र इस अनुभाग को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-2232(1)/26-2-2012-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
3. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in